समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

क्र0 /2017 निगरानी I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2600

वीरेन्द्र तनय विक्रम सिंह यादव ग्राम रायपुर जिला

टीकमगढ म.प्र. ।. ....आवेदक

527

श्री सनील/कि मयां

द्वारा आज दि 11-8-17 को

प्रस्तुत

11-8-17

बाबू रीडर कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

विरूद्व

कमला तनय हरप्रसाद धोबी निवासी ग्राम रायपुर

तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र. ।

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील जिला टीकमगढ म.प्र. के रा0प्र0प्र0क 27/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहांकि , अनावेदक द्वारा भूमि 255,265,266,271,280 रकबा 0.065,0.020,0.101,0.120,0.180हे. भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 27/अ–12/14–15 दर्ज किया गया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई सूचना पत्र नही दिया गया कोई सुनवाई का मोका नही दिया गया एक पक्षिय रूप से सीमांकन की कार्यवाही कीगई जबकि आवेदक मेडिया कृषक है सरहदी किशान है। अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से सीमांकन प्रकिया का पालन किये वगैर मनमाने पूर्ण तरीके से सीमांकन आदेश पारित किया जाकर सीमांकन किया गया जिसकी आवेदक को कोई सूचना व जानकारी नही मिली आवेदक को पहली वार सीमांकन की जानकारी धारा 250 के प्रकरण में नोटिस मिलने पर प्राप्त हुई कि उक्त भूमि का सीमांकन किया जा चुका हे। तव पहली वार जानकारी हुई । उक्त सीमांकन अवैध व नियमानुकूल न होने से निरस्त योग्य है। जिससे दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जारही है।

सनील/कि मयां 18 11-8-17

निगरानी के आधार

...कन अवैध व नियम... न होने से निरस्त योग्य है। ... दुखित होकर यह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2600 बीरेन्द्र विरूद्ध कमला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2014-15 सीमांकन आदेश दिनांक 18-5-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 25/01/19 सदस्य	